कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.01.2024

विषयः- किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त राजू कुमार थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के कुशल नेतृत्व मे **"आपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 554/24 धारा 137(2)/351(2) /64(2एम)/65(1)/87 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त राजू कुमार पुत्र कल्लू निवासी पहलू का पूरा फुलवरिया थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी को शहीद बाबा मजार के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 29/12/24 को वादी मुकदमा ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री विपक्षी राजू द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना कैण्ट में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. सत्यम कुमार चौरसिया द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राजू कुमार पुत्र कल्लू निवासी पहलू का पूरा फुलवरिया थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0- 554/24 धारा 137(2)/351(2) /64(2एम)/65(1)/87 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
उ.नि. सत्यम कुमार चौरसिया, उ.नि. आकाश कुमार सिंह, हे.का. मनीष कुमार श्रीवास्तव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।